तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2025 / 2076 / जयपुर** **गणेश बनाम मदन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/05/25	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** ---- **उपस्थिति :–** श्री विकास पाराशर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी। नमिता चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/केवियटकर्ता मदन। ---- **आदेश** पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। गत पेशी पर अधिवक्ता उभय पक्षों को हस्तगत निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के समक्ष ग्राम नागल जैसा बोहरा तहसील जयपुर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 15, 16, 18, 22, 26 व 28 कुल किता 6 रकबा 2.4661 है0 में अप्रार्थी संख्या–1 सूरज का 4/21 हिस्से में से 1/6 हिस्से अर्थात् वादी का 2/63 हिस्सा निहित होने के संबंध में एक वाद बाबत् इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। उक्त वाद के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 17–2–2025 को अप्रार्थी संख्या–1/वादी के पक्ष में वादी के हिस्से तक किसी प्रकार से पृथक नहीं करने एवं विशेष भू–भाग का बेचान नहीं करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर उक्त बिन्दु पर गौर फरमाये बिना ही अप्रार्थी संख्या–1/वादी के पक्ष में सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी, किन्तु इसके उपरांत भी दिनांक 03–03–2025 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में चाहे गये अनुतोष एवं हिस्से से अधिक जाकर संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश पारित कर दिया। जबकि धारा 212 आरटीए में यह अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1 सूरज जो वर्तमान अप्रार्थी संख्या–1 मदन का पिता है, के बीच विवाद है अन्य सह खातेदारों बाबत् कोई विवाद नहीं है, जिसका अंकन स्वयं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा भी आदेश दिनांक 03–03–2025 में किया है एवं अप्रार्थी संख्या–1 मदन द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अपने पिता सूरज के 4/21 में से 2/63 हिस्सा बाबत् अनुतोष चाहा है, इसलिये विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 17–2–2025 में अप्रार्थी संख्या–1 की हद तक स्थगन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/ 2025/2076/जयपुर** **गणेश बनाम मदन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश पारित किया एवं अप्रार्थी संख्या–1 स्वयं के पक्ष में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्वयं के पक्ष में पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना कर रहा है अर्थात् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वतः ही समाप्त करने की प्रार्थना कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि सह खातेदारों के हिस्से आराजी बाबत् कोई विवाद नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या–1 का हक व हिस्सा घोषित होना शेष है। अपील में संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश जारी कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने हक व हिस्से की आराजियात के उपयोग उपभोग व निर्माण कार्य से वंचित हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी याचिका एडमिट की जाकर, ताफैसला निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2025 की पालना व प्रभाव को स्थगित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। उक्त कथनों का खण्डन करते हुए अप्रार्थी/केवियटकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रांरभिक आपत्ति पेश की एवं निवेदन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी की पैतृक आराजी है जो उसके पितामह की खातेदारी आराजी रही है। विचाराधीन निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील लंबित है तथा आदेश दिनांक 17–02–2025 के विरूद्ध उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि पोषणीय नही है। अतः प्रस्तुत प्रांरभिक आपत्ति स्वीकार करते हुए प्रस्तुत निगरानी याचिका को इसी स्तर पर खारिज किया जाये। उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं आक्षेपित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हस्तगत निगरानी का उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ग्राह्यता के स्तर पर ही निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी मदन द्वारा ग्राम नांगल जैसा बोहरा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 0.2909 है0, खसरा संख्या 16 रकबा 0.3920 है0, खसरा संख्या 18 रकबा 0.5438 है0, खसरा संख्या 22 रकबा 0.3794 है0, खसरा संख्या 26 रकबा 0.3794 है0 एवं खसरा संख्या 28 रकबा 0.4806 है. में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अपने पिता अप्रार्थी सूरज का राजस्व अभिलेख में दर्ज 4/21 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा अर्थात् 2/63 हिस्सा भूमि बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। उक्त वाद के साथ ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2025 / 2076 / जयपुर** **गणेश बनाम मदन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिस पर योग्य विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 17–02–2025 को प्रार्थी/वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थी संख्या–1 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–2–2025 तक विवादित भूमि खसरा संख्या 15, 16, 18, 22, 26 व 28 में अपने 4/21 हिस्से के दर हिस्से 1/6 से अधिक भूमि को किसी तरह से Alienate (पृथक) नहीं करे तथा किसी भी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नहीं करने बाबत् अंतरिम रूप से स्थगन आदेश से पाबंद किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी वादी मदन द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपील प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 03–03–2025 द्वारा अपीलार्थी की बहस सुनकर दौराने बहस उद्धरित तथ्यों का परिक्षण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन कर युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई, तब तक विवादित भूमि की मौका व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया तथा पत्रावली ईन्तजार तामिल एवं तहत रिकार्ड हेतु दिनांक 25–03–2025 नियत की गई।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश देने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया जाना उचित मानते हुए पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 25–03–2025 नियत की गई है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने तक विवादित भूमि की मौका व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो अंतिम प्रकृति का आदेश न होकर पूर्णतः अंतरिम आदेश है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी अंतर्गत धारा–230 सपठित धारा–221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा मूल वाद में चाहे गये अनुतोष व हिस्से से अधिक जाकर संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश पारित किया गया है, जबकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा शेष अप्रार्थीगण सह खातेदार है तथा किसी सह खातेदार काश्तकार को उसके हक व हिस्से की आराजियात के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 15, 16, 18, 22, 26 व 28 कुल रकबा 2.4661 है0 में प्रार्थी गणेश का 4/21 हिस्सा एवं अप्रार्थी मदन के पिता सूरज पुत्र गंगू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/ 2025/2076/जयपुर** **गणेश बनाम मदन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का 4/21 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर संपूर्ण भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। अप्रार्थी मदन द्वारा अपने पिता सूरज के नाम दर्ज 4/21 हिस्से में से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त 1/6 हिस्से अर्थात् 2/63 हिस्से बाबत् मूल वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर योग्य विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 17-2-2025 द्वारा अप्रार्थी सूरज के विरूद्ध 4/21 के दर हिस्से 1/6 से अधिक भूमि को किसी तरह से बेचान या पृथक नहीं करने बाबत् आगामी पेशी दिनांक 27-2-2025 तक अंतरिम स्थगन आदेश से पाबंद किया है। किन्तु उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी मदन द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने जरिये आदेश दिनांक 03-03-2025 द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने तक संपूर्ण विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया। चूंकि मूल अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें मूल स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना शेष है। यह भी स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 03-03-2025 निर्णित प्रकरण नहीं होकर पूर्णतः अंतरिम प्रकृति का आदेश है जो धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निर्णीत प्रकरण नहीं होने से इसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी याचिका पोषणीयता के अभाव में अस्वीकार कर खारिज की जाती है। किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-221 राजस्व मण्डल को समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां न्याय को सुनिश्चित करने के लिये प्रदान करती है, जहां विधि का उल्लंघन किया गया हो और त्रुटि अभिलेख के मुख पर प्रकट हो। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी मदन के द्वारा अपने मूल वाद के दावे में अपने पिता सूरज के राजस्व अभिलेख में दर्ज 4/21 हिस्से में से 1/6 हिस्से तक ही अनुतोष चाहा गया, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए संपूर्ण विवादित भूमि की ही मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया, जो कि प्रथम दृष्टया दावे के अभिवचनों से बाहर जाकर दिया गया आदेश प्रकट होता है, जबकि निगरानीकर्ता स्वयं विवादित भूमि का 4/21 हिस्से का सह खातेदार दर्ज है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं धारा-221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि योग्य अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03-03-2025 अप्रार्थी सूरज के 4/21 हिस्से में से 1/6 हिस्से अर्थात् 2/63 हिस्सा से अधिक भूमि पर प्रभावी नहीं होगा। साथ ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2025 / 2076 / जयपुर** **गणेश बनाम मदन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि वह मूल अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुनकर एक माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 14-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(पुरुषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	